

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर
क्रमांक: एफ 9(4) छात्रवृत्ति/शै.स.2025-26/सान्याअवि/06732-6850525PF7-8677544 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2588 दिनांक 06.11.2025, 685025 दिनांक 05.01.2026, 19337858 दिनांक 11.12.2025 एवं 20132824 दिनांक 30.01.2025 से विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने एवं विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण कर छात्रवृत्ति आवेदन करने की अन्तिम निर्धारित तिथि को बढ़ाकर निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	विषय वस्तु	पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर राजकीय (नवीन)/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	28 फरवरी 2026	31 मार्च 2026
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पंजीकरण कर आवेदन करने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	28 फरवरी 2026	31 मार्च 2026

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांक: एफ 9(4) छात्रवृत्ति/शै.स.2025-26/सान्याअवि/06732-6850525PF7-8677544 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।



8. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
10. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राज./निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त।
12. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
20. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)